



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 20.07.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 154/22 धारा 153ए/295ए भादवि 67 आई.टी.एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त को आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने में प्रयुक्त एक मोबाइल के साथ किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.07.2022 को सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के सम्बन्ध में थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया जिसके संबंध में थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 154/22 धारा 153ए/295ए भादवि 67 आई.टी.एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए थाने के मु0अ0सं0 154/22 धारा 153ए/295ए भादवि 67 आई.टी.एक्ट व 3/11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त को आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने में प्रयुक्त मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

परवेज खान पुत्र नत्थू खान निवासी लहचौडा थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने में प्रयुक्त मोबाइल फोन ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री नितिन पाण्डेय थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 2-व0उ0नि श्री मुनेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 3-का0 1023 गणेश कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 4-का0 832 वितेन्द्र कुमार थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 20-07-2022

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 652/22 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए, 02 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की 02 स्कूटी व 01 मोटर साइकिल बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

थाना बडौत पर वादी मोहसिन पुत्र शौकीन निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि दिनांक 18-07-2022 को मिलन मैरिज होम छपरौली चुंगी कस्बा बडौत से उसकी स्कूटी एकटवा सफेद रंग चोरी हो गई है । इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 652/2022 धारा 379 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-



बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 652/21 धारा 379 भादवि का सफल अनावरण करते हुए 02 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी की 02 स्कूटी एक्टिवा व एक मोटरसाइकिल CD डीलक्स बिना नम्बर बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- सचिन जोगी पुत्र मुकेश कुमार निवासी लकड संदा थाना सिविल लाईन जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2- रजत पाल उर्फ मोनू पुत्र खडग सिंह निवासी जनकपुरी थाना सिविल लाईन जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी का विवरण-

- एक स्कूटी एक्टिवा रंग सफेद न0 DL- 85SBK- 3012 (सम्बन्धित मु0अ0सं0 652/22 धारा 379/411 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।)
- एक स्कूटी एक्टिवा रंग सफेद न0 HR- 10S- 6990 (जनपद रोहतक हरियाणा से चोरी)
- एक मोटरसाइकिल CD डीलक्स बिना नम्बर (जनपद सहारनपुर से चोरी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री नरेशचन्द यादव थाना बडौत
- 2- है0का0 65 महिपाल सिंह थाना बडौत।
- 3- का0 814 अमित नागर थाना बडौत।
- 4- का0 166 कुलदीप सिंह थाना बडौत।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 20.07.22

**थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 212/22 धारा 279/323/452/504/506
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.07.22 को थाना छपरौली पर वादी रविन्द्र पुत्र मदन सिंह निवासी ग्राम ओढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्त मुस्तफा के लडके रिहान व रिजवान के लडके सारिक निवासीगण ग्राम ओढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत द्वारा वादी की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी, विरोध करने पर मारपीट की गई । इसी बात को लेकर अभियुक्त लाल्ला पुत्र मुकीम, नदीम पुत्र गफफार व कल्लू उर्फ फजर मौहम्मद पुत्र जब्बार निवासीगण ग्राम ओढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा वादी के घर आकर गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 212/22 धारा 279/323/452/504/506 भादवि में पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 212/22 धारा 279/323/452/504/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-कल्लू उर्फ फजर पुत्र मौ0 जब्बार निवासी ग्राम ओढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री राजीव कुमार
- 2- उ0नि0 श्री आशीष कुमार



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 20.07.2022

**थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 186/2022 धारा 323,324,504,506,308
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19/07/2022 को थाना दोघट पर वादी श्री वेदपाल पुत्र कालूराम निवासी पट्टी मादान थाना दोघट जनपद बागपत ने तहरीर दी कि अभियुक्त 1. विजय पुत्र राजेन्द्र सिंह 2. अनुज पुत्र राजेन्द्र सिंह 3. नकुल पुत्र राजेन्द्र सिंह 4. पुष्पा पत्नी राजेन्द्र सिंह समस्त निवासीगण पट्टी मादान करबा व



थाना दोघट जनपद बागपत द्वारा वादी व परिवार के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देते हुए हाथो मे डंडे सरिया व धारदार हथियार लेकर वादी के पुत्र गौरव व सौरभ के साथ मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया व बचाने आयी वादी की पत्नी रजनी के साथ भी मारपीट की जिससे वह बेहोश हो गई । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दोघट पर मु0अ0सं0 186/2022 धारा 323,324,504,506,308 भादवि पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 186/22 धारा 323/324/504/506/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- अनुज पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी पट्टी मादान करबा व थाना दोघट जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री मनीष कुमार
- 2- का0 1044 शायद अली



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 20.07.2022

थाना खेकड़ा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध चाकू बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-गौरव पुत्र तेजपाल निवासी पट्टी रामपुर कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध चाकू ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विकुल कुमार
2. का0 774 धर्मेन्द्र सिंह
3. का0 335 राकेश कुमार



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 20.07.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 185/22 धारा 366/376डी भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 185/22 धारा 366/376डी भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 376डी की बढोत्तरी की गयी ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सचिन पुत्र राजपाल निवासी ग्राम पूठड थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-प्र0नि0 नोवेन्द्र सिंह सिरोही थाना सि0अहीर
- 2-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह थाना सि0अहीर
- 3-का0 442 प्रमोद कुमार थाना सि0अहीर



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 20.07.2022

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 254/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 254/22 धारा 363 भादवि से संबंधित अपहृता को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह
- 2- का0 406 रविन्द्र भाटी
- 3- म0का0 536 चादनी